नवीन कुमार

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

सत्यमेव जयते

पत्र सं0-1/पी0सी0आर0(विविध)09-10-12-1320/
दिनांक 18 जून, 2012

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय: **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2011 के नियम-12(4)(21) के अनुपालन के संबंध में ।**

महाशय,

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2011 के आलोक में नियम-4 के अन्तर्गत अत्याचार पीड़ितों को भिन्न-भिन्न अत्याचार के लिए भिन्न-भिन्न सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है । तद्नुसार नियम-12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार के तिथि से तीन माह के भीतर निम्न रूप से राहत की व्यवस्था करने का प्रावधान है:-

(I) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3000/-रू0 प्रति मास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि, भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा ।

(II) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए ।

(III) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेंहू दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था की जाये ।

इस संबंध में दिनांक 10.04.2012 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्यस्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में समीक्षा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में नियम-12(4)(21) का अनुपालन नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए पीड़ितों को उपरोक्त अतिरिक्त राहत वितरण करना भी सुनिश्चित किया जाय ।

वर्णित परिस्थिति में अनुरोध है कि कृपया उक्त नियमावली के नियम-12(4)(21) के तहत अतिरिक्त राहत वितरण की व्यवस्था अत्याचार घटित होने की तारीख से तीन माह के भीतर सुनिश्चित की जाय । साथ ही प्रत्येक माह किये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करते हुए स्वीकृत लाभुकों का नाम, पता इत्यादि विभाग को ई-मेल:-secy-welfare-bih@nic.in अथवा फैक्स संख्या-0612-2217251/2215265 पर अवश्य भेजा जाय ।

विश्वासभाजन,

16/6/12

(नवीन कुमार)